संख्या–15/79–6–2018–765/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/4826/2017–18 दिनांक 22.12.2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 110693 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–1323.35 लाख (रू0 तेरह करोड़ तेइस लाख पैंतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–882.19 लाख (रू0 आठ करोड़ बयासी लाख उन्नीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2205.54 लाख (रूपया बाइस करोड पांच लाख चौवन हजार मात्र) की तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

Scanned by CamScanner

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–08/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–15(1)/79–6–2018–765/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समरत सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

budget. RP 2017

Scanned by CamScanner

संख्या–15/79–6–2018–765/2010

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/4826/2017–18 दिनांक 22.12.2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम–कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 110693 कुक–कम–हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्दांश के रूप धनराशि रू0–1323.35 लाख (रू0 तेरह करोड़ तेइस लाख पैंतीस हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू0–882.19 लाख (रू0 आठ करोड़ बयासी लाख उन्नीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0–2205.54 लाख (रूपया बाइस करोड पांच लाख चौवन हजार मात्र) की तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिहिंत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय 10 माह के लिये दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

budget. RP 2017

Scanned by CamScanner

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक–कम–हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेगें तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक लेखानुदान में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103–मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यकम–कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40–के.+रा.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–08/2017/बी–1–1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–15(1)/79–6–2018–765/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– श्रमायुक्त, कानपुर।
4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7– वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3।
10– वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
12– समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
13– समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।
14– बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
19/01/18
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2017-18: Grant-83, PLAN: 3rd Installment

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category	No. of Months for which fund is to being released	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	01-Agra	1351	2	16.21	10.81	27.02
2	02-Aligarh	1159	2	13.91	9.27	23.18
3	03-Allahabad	5208	2	62.50	41.66	104.16
4	04-Ambedkar nagar	1428	2	17.14	11.42	28.56
5	05-Auraiya	455	2	5.46	3.64	9.10
6	06-Azamgarh	4024	2	48.29	32.19	80.48
7	07-Badaun	1081	2	12.97	8.65	21.62
8	08-Baghpat	338	2	4.06	2.70	6.76
9	09-Bahraich	2764	2	33.17	22.11	55.28
10	10-Ballia	1884	2	22.61	15.07	37.68
11	11-Balrampur	762	2	9.14	6.10	15.24
12	12-Banda	1581	2	18.97	12.65	31.62
13	13-Barabanki	1377	2	16.52	11.02	27.54
14	14-Bareilly	736	2	8.83	5.89	14.72
15	15-Basti	1419	2	17.03	11.35	28.38
16	16-Bhadohi	973	2	11.68	7.78	19.46
17	17-Bijnour	2033	2	24.40	16.26	40.66
18	18-Bulandshahar	1755	2	21.06	14.04	35.10
19	19-Chandauli	2315	2	27.78	18.52	46.30
20	20-Chitrakoot	1303	2	15.64	10.42	26.06
21	21-Amethi	1106	2	13.27	8.85	22.12
22	22-Deoria	1684	2	20.21	13.47	33.68
23	23-Etah	649	2	7.79	5.19	12.98
24	24-Faizabad	1549	2	18.59	12.39	30.98
25	25-Farrukhabad	316	2	3.79	2.53	6.32
26	26-Fatehpur	2175	2	26.10	17.40	43.50
27	27-Firozabad	424	2	5.09	3.39	8.48
28	28-G.B. Nagar	0	2	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	1998	2	23.98	15.98	39.96
30	30-Ghaziyabad	373	2	4.48	2.98	7.46
31	31-Gonda	1676	2	20.11	13.41	33.52
32	32-Gorakhpur	3439	2	41.27	27.51	68.78
33	33-Hameerpur	904	2	10.85	7.23	18.08
34	34-Hardoi	2814	2	33.77	22.51	56.28
35	35-Hathras	680	2	8.16	5.44	13.60
36	36-Itawah	246	2	2.95	1.97	4.92
37	37-J.P. Nagar	741	2	8.89	5.93	14.82
38	38-Jalaun	976	2	11.71	7.81	19.52
39	39-Jaunpur	1652	2	19.82	13.22	33.04
40	40-Jhansi	1456	2	17.47	11.65	29.12
41	41-Kannauj	201	2	2.41	1.61	4.02
42	42-Kanpur Dehat	538	2	6.46	4.30	10.76
43	43-Kanpur Nagar	1161	2	13.93	9.29	23.22
44	44-Kaas Ganj	370	2	4.44	2.96	7.40
45	45-Kaushambi	1352	2	16.22	10.82	27.04
46	46-Kushinagar	3203	2	38.44	25.62	64.06

22-12-17

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Districts	No. of cook-cum-helper in SCP Category	No. of Months for which fund is to being released	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
47	47-Lakhimpur Kheri	2584	2	31.01	20.67	51.68
48	48-Lalitpur	527	2	6.32	4.22	10.54
49	49-Lucknow	2232	2	26.78	17.86	44.64
50	50-Mahoba	676	2	8.11	5.41	13.52
51	51-Mahrajganj	2258	2	27.10	18.06	45.16
52	52-Mainpuri	296	2	3.55	2.37	5.92
53	53-Mathura	60	2	0.72	0.48	1.20
54	54-Mau	1880	2	22.56	15.04	37.60
55	55-Meerut	903	2	10.84	7.22	18.06
56	56-Mirzapur	2605	2	31.26	20.84	52.10
57	57-Moradabad	1687	2	20.24	13.50	33.74
58	58-Muzaffarnagar	884	2	10.61	7.07	17.68
59	59-Pilibhit	1718	2	20.62	13.74	34.36
60	60-Pratapgarh	832	2	4.99	3.33	8.32
61	61-Rai Bareily	2386	2	28.63	19.09	47.72
62	62-Rampur	1462	2	17.54	11.70	29.24
63	63-Saharanpur	1778	2	21.34	14.22	35.56
64	64-Santkabir Nagar	1369	2	16.43	10.95	27.38
65	65-Shahjahanpur	2263	2	27.16	18.10	45.26
66	66-Shrawasti	997	2	11.96	7.98	19.94
67	67-Siddharthnagar	2121	2	25.45	16.97	42.42
68	68-Sitapur	3739	2	44.87	29.91	74.78
69	69-Sonbhadra	1520	2	18.24	12.16	30.40
70	70-Sultanpur	1732	2	20.78	13.86	34.64
71	71-Unnao	1593	2	19.12	12.74	31.86
72	72-Varanasi	2564	2	30.77	20.51	51.28
73	73-Sambhal	1327	2	15.92	10.62	26.54
74	74-Hapur	653	2	7.84	5.22	13.06
75	75-Shamli	418	2	5.02	3.34	8.36
	Total	110693	2	1323.35	882.19	2205.54

22.12.17
(जनार्दन प्रसाद)
लेखाकार
मध्यान्ह भोजन प्रधिकरण
उ० प्र०, लखनऊ

(अनित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

उप सचिव
उ०प्र० शासन

(अनूप कुमार शुक्ल)
समीक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग-6
उ० प्र० शासन

Scanned by CamScanner